



F.20(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020/ 1062

दिनांक:- 28/9/2021

शुद्धि पत्र

Bridge Programme Certificate Course in Community Health for Nurses (BPCCHN) करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/1061 दिनांक 25.09.2021 के द्वारा अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किये गये थे।

उक्त आदेश के क्रम संख्या 74 पर अंकित प्रदीप कुमार के स्थान पर प्रमोद कुमार पढा जावें। शेष आदेश यथावत।

(सुधीर कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
5. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 सरकार।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
7. प्राचार्य/अधीक्षक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
8. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक को आवश्यक पालनार्थ।
9. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु पालनार्थ।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को सूचनार्थ।
11. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी
H&WC एनएचएम